

अनुमति की शर्तें ।

- (i) सत भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामिन विधि नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी दायित्विता के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आधिकारिक नियम को सुमित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवरो के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल सिद्धी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 880 दिनांक 01/02/2021

प्राणी इन्द्रजित माथुर एवं श्री नरसिंह राज माथुर

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2000 P.No - 23 आर आर सुगता, अथवा अथवा

घारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय P.N/30 सुज नगर, जोधपुर

भवन निर्माण हेतु मन्त्रालय कार्यालय में पंज

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 125281/00

जसके रसीद संख्या 00 00 / 1436, 1137

दिनांक 01/02/2021 को जमा करा है ।

जी + 1

आवासीय

901
22/02/2021

सहायक नगर निवाजक,
नगर निगम, जोधपुर

(Signature)
6377880171